भारतीय पुनर्वास परिषद्

भारतीय पुनर्वास परिषद्
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन एक सांविधिक निकाय)
REHABILITATION COUNCIL OF INDIA
(A Statutory Body under the Ministry of Social Justice and Empowerment,
Department of Empowerment of Persons with Disabilities)

सत्यमेव जयते

फा. सं. 5-14/2016-भा.पु.प.

दिनांक : 22/11/2016

परिपत्र

दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न संस्थाओ में प्रतिनिधियों ने एवम् कार्मिकों द्वारा अवगत कराया गया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा आवंटित केंद्रीय पुनर्वास पंजीकरण संख्या को पाँच वर्ष की वैद्यता अवधि के अन्दर अद्यतन करने के लिए विभिन्न सतत् पुनर्वास कार्यक्रमों (सी.आर.ई.) के माध्यम से अथवा पुस्तक/शोध पत्र के प्रकाशन आदि के माध्यम से 5 वर्षों में 100 अंक अर्जित करना अनिवार्य होता है | चूंकि सी.आर.ई. का कार्यक्रम वर्तमान में भारतीय पुनर्वास परिषद् के स्तर पर अनुमोदन के उपरांत ही संपन्न किया जा सकता है, अतः इस केन्द्रीयकृत प्रक्रिया के कारण सी.आर.ई. का कार्यक्रम सुगमता से पात्र संस्थाओं को उपलब्ध नहीं हो पाता है | इस विषय पर मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के पत्र दिनांक 14.10.2016 द्वारा भी यह सुझाव दिया गया है की भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मात्र अपने स्तर पर सतत् पुनर्वास कार्यक्रमों के अनुमोदन को केंद्रीकृत न रखते हुए इसे विकेंद्रीकृत करते हुए विभाग के अधीन दिव्यांगजन के क्षेत्र में स्थापित विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों को इस हेतु अधिकृत कर दिया जाये |

अतः इस विषय पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया जाता है :-

1. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन कार्यरत दिव्यांगता के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों को उन संस्थाओं के सतत् पुनर्वास कार्यक्रमों को भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाता है जो उनसे संबद्ध हैं, अर्थात जिनकी परीक्षा आदि का कार्य उनके द्वारा नियंत्रित एवं सम्पादित किया जाता है | वित्तीय सहायता से सम्बंधित प्रस्ताव भारतीय पुनर्वास परिषद् को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जायेंगे |

2. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थानों, उनकी शाखा संस्थानों, क्षेत्रीय संस्थानों, विश्वविद्यलयों एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में पंजीकृत /मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा प्रस्तावित सतत् पुनर्वास कार्यक्रम पर भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा पूर्ववत् अनुमोदन किया जाएगा |

3. ऐसे सभी प्रस्ताव जिनमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के संचालन हेतु सी.आर.ई. स्टेटस प्रदान करना हो या वितीय सहायता प्रदान करनी हो वो सभी प्रस्ताव परिषद् को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजे जायेंगे |

बी-22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - 110 016
B-22, Qutab Institutional Area, New Delhi - 110 016
Tel.: 011-2653 2408, 2653 2384, 2653 4287, 2653 2816 Fax : 011-2653 4291
E-mail : rehabstd@nde.vsnl.net.in, rehcouncil_delhi@bol.net.in
Website : www.rehabcouncil.nic.in

Please Recycle

4. सभी राष्ट्रीय संस्थानों की यह जिम्मेदारी होगी की वो सभी कार्यक्रमों के प्रतिभागियों की प्रमाणित सूची परिषद् को प्रेषित करें ताकि सभी प्रतिभागियों के सी.आर.ई. अंक परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड किये जा सकें |

5. राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा उन्ही विषयों पर सी.आर.ई. कार्यक्रमों का अनुमोदन दिया जाएगा जो भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा पहले से अनुमोदित हैं |

(कमलेश कुमार पाण्डेय)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :

(i) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पर्यावरण भवन, नयी दिल्ली-110003 |
(ii) श्री टी.आर. मोहंती, उप महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पर्यावरण भवन, नयी दिल्ली - 110003 |
(iii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन कार्यरत दिव्यांग के राष्ट्रीय संस्थाओं के निदेशकगण को आवश्यक कार्यवाही हेतु | (CRE के मानकों की प्रति सहित)
(iv) भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित सभी संस्थान / विश्वविद्यालय
(v) भारतीय पुनर्वास परिषद् के सभी अधिकारी |
(vi) अध्यक्ष/सदस्य सचिव के निजी सहायक/निजी सचिव |
(vii) भारतीय पुनर्वास परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु |